न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 224/2011
प्रविष्टि दिनांक 17.06.2011

1—मानमल पुत्र सोहनलाल जाति जैन निवासी सरोली तहसील देवली जिला टोंक
2—महावीर कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जैन निवासी सरोली तहसील,देवली जिला टोंक
3—पवन कुमार जैन पुत्र सोहनलाल जाति जैन निवासी सरोली तहसील देवली जिला टोंक

.... प्रार्थीगण

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री जितेन्द्र कुमार,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामअवतार सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 14.08.2023

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम सरोली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 900 रकबा 0.29 है0 भूमि को अवाप्त किये जाने के उपरान्त भी अखबार मे प्रकाशन नही किया गया है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का वर्तमान दर के अनुरूप मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थीगण को वर्तमान दर के अनुरूप मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि जब अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 (ए)एंव 3(डी) मे खसरा नम्बर 900 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील देवली की भूमि अवाप्त हेतु नोटिफिकेशन जारी नही किया तो उक्त भूमि का मुआवजा राशि निर्धारित करने का प्रश्न ही नही है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र मे भूमि ख0नं0 900 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील देवली को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण के कार्य मे उपयोग मे लिया जाना और उक्त भूमि का अवाप्त हेतु नोटिफिकेशन जारी नही होना अंकित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे अवाप्त की गई भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया है। प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का वर्तमान दर के अनुरूप मुआवजा चाहा गया है,परन्तु उनके द्वारा भूमि अवाप्ति बाबत कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 14.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राज.)